निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक C-1347/बा0वि0परि0/आई0ई0सी0/2016-17 दिनांक 05 सितम्बर अगस्त, 2016

जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः-''राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस''दिनांक 10 अगस्त, 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर, 2016 को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय डा0स्वप्ना दास, महाप्रबन्धक, आर0बी0एस0के0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 19-ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ के प्रतिलिपि पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर0के0एस0के0/एन0डी0डी0/09/2016-17/4113-17 दिनांक 5.8.2016 (छायाप्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि एलबेण्डाजॉल टैबलेट्स की समय से आपूर्ति न हो पाने के कारण **'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस'' दिनांक 10.8.2016** के स्थान पर **10 सितम्बर, 2016 को** तथा माप अप दिवस **दिनांक 17 अगस्त 2016** के स्थान पर **17 सितम्बर, 2016** को मनाया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय पत्र संख्या 4141-47/बा0वि0परि0/आई0ई0 सी0/2016-17 दिनांक 09 अगस्त, 2016 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या जेड-28020/237/2013-सीएच दिनांक 01 अगस्त 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए **'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस'' का सफल कियान्वयन दिनांक 10 अगस्त, 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर, 2016 को करते हुए** सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

3/8/16

(आर0एन0एस0यादव)
अपर निदेशक(प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, विशाल काम्पलैक्स, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य , उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।

(आर0एन0एस0यादव)
अपर निदेशक(प्रशासन)

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0

19—ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, बाराबंकी एवं सोनभद्र को छोड़कर)।

पत्र संख्याः एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016—17/ दिनांक :

विषयः राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर 2016 को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./09/2016—17/3685—75 दिनांक 22.07.2016, पत्र संख्या—एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016—17/3425—2 दिनांक 14.07.2016, पत्र संख्या—एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./एन.डी.डी./09/2016—17/3426—2 दिनांक 14.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एलबेण्डाजॉल टैबलेटस की समय से आपूर्ति न हो पाने के कारण एन0डी0डी0 कार्यक्रम 10 अगस्त 2016 के स्थान पर 10 सितम्बर 2016 तथा माप अप दिवस 17 अगस्त 2016 के स्थान पर 17 सितम्बर 2016 को मनाया जायेगा। इस संदर्भ में गतिविधियों की संशोधित समय सीमा निम्नवत है।

प्रचार प्रसार :—

जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय समन्वय/ऑरियेन्टेशन मीटिंग/गतिविधियाँ

क्रं.	स्तर	विवरण	निर्धारित समय—सीमा	जिम्मेवार
1	जिला स्तर पर	अर्न्तविभागीय समन्वय/ऑरियेन्टेशन बैठक— यह बैठक **जिलाधिकारी की अध्यक्षता** में कराई जाये जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा एवं जनपद के सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि प्रतिभाग करेगें जिन्हें कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तुत जानकारी देते हुये कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में रणनीति तैयार की जाये। द्वितीय बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये।	प्रथम बैठक : 16 अगस्त 2016 तक द्वितीय बैठक : 3—5 सितम्बर 2016 तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
1.2	जिला स्तर पर	टेबलेट एल्बैन्डाजोॅल का क्रय एवं ब्लॉक सी.एच.सी./पी.एच.सी. तक पहुँचाना	क्रय : 25 अगस्त 2016 तक ब्लाक तक पहुँचानाः 31 अगस्त 2016 तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
1.3	जिला स्तर पर	आई.ई.सी. सामग्री की प्रिन्टिंग एवं वितरण तथा होर्डिंग लगवाना आदि।	प्रिन्टिंगः 20 अगस्त 2016 तक ब्लाक तक पहुँचानाः	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी

			31 अगस्त 2016 तक – प्रथम ब्लॉक स्तरीय बैठक से पूर्व	
	जिला स्तर पर	जिला स्तरीय प्रशिक्षण : राज्य स्तर पर जनपदीय नोडल अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को [illegible] है। जनपद स्तर पर जनपद एवं ब्लॉक स्तर के सहयोगी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।	23– 31 अगस्त 2016 तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
1.5	जिला स्तर पर	नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि भेजे गये चेक लिस्ट के अनुसार गतिविधियॉं समय पर पूर्ण की जा रही हैं अथवा नहीं तदानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।	चेक लिस्ट के अनुसार	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
2	ब्लॉक स्तर	अर्न्तविभागीय समन्वय/ऑरियेन्टेशन बैठकः– यह बैठक अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साअधिकारी द्वारा आई.सी.डी.एस., बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज एवं जनपद के सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि के साथ की जायेगी। बैठक में कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में रणनीति एवं आपसी सहयोग पर चर्चा की जाये। उक्त बैठक में एस.डी.एम. का भी सहयोग लिया जाये। द्वितीय बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये।	<u>प्रथम बैठक</u> 31 अगस्त 2016 तक <u>द्वितीय बैठक</u> 6 सितम्बर 2016 तक	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
2.2	ब्लॉक स्तर	टेबलेट एल्बेन्डाजॉल को स्कूल एवं ऑगनवाडी तक ब्लॉक स्तरीय बैठकों के माध्यम से, प्रशिक्षण के समय अथवा स्कूलों एवं ऑगनवाडी तक सीधे पहुॅंचाना	<u>स्कूल एवं ऑगनवाडी तक पहुॅंचाना:</u> 1 – 5 सितम्बर 2016 तक	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
2.3	ब्लॉक स्तर	आई.ई.सी. सामग्री का वितरण एवं पोस्टर बैनर्स लगवाना एवं अन्य आई.ई.सी. कार्य	31 अगस्त 2016 तक	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

2.4	ब्लॉक स्तर	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण : जनपद स्तर पर प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर आई.सी.डी.एस. विभाग की ऑगनवाडी कार्यकत्रियों एवं मुख्य सेविकाओं को सी.डी.पी.ओ. एवं चिकित्सा अधिकारी/एच.ई.आई.ओ. के द्वारा आधे दिन का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसी प्रकार बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण बी.आर.सी पर प्रशिक्षित टीचर्स एवं चिकित्सा अधिकारी/एच.ई.आई.ओ. द्वारा दिया जायेगा। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त नोडल अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के अन्य अध्यापकों को कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी दी जायेगी।	जनपद स्तर के प्रशिक्षण के उपरान्त 1–5 सितम्बर 2016 तक	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,सी.डी.पी.ओ., बी.ई.ओ.

		आशा एवं ए.एन.एम. को चिकित्सा अधिकारी /एच. ई.आई.ओ. द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।		
2.5	ब्लॉक स्तर	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुनिश्चित करें कि भेजे गये चेक लिस्ट के अनुसार गतिविधियाँ समय पर पूर्ण की जा रही हैं अथवा नहीं तदानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।	चेक लिस्ट के अनुसार	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
3	ग्राम/ उपकेन्द्र स्तर	ग्राम स्तर पर ए0एन0एम0 अपने क्षेत्र की सभी ऑगनवाड़ी एवं आशाओं के साथ मिलकर कार्यक्रम के विषय में चर्चा करेगी तथा 1 से 19 वर्ष के ऑगनवाड़ी/स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची आशा द्वारा तैयार कर ऑगनवाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध कराने हेतु आशा को बतायेगी। आशा अभिभावकों को इस गोली को खिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी देकर प्रेरित करते हुये 10 सितम्बर को बच्चों को बुला कर ऑगनवाड़ी केन्द्र पर लायेगी।	आशा द्वारा 1 से 19 वर्ष के ऑगनवाड़ी/स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची ऑगनवाड़ी को उपलब्ध कराना:- 31 अगस्त तक ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार:- 08 सितम्बर 2016 तक	ए0एन0एम0

रिर्पोटिंग:-

क्रम सं0	स्तर	रिपोर्टिंग प्रपत्र *	जिम्मेदार व्यक्ति	रिपोर्ट किस स्तर पर जमा करनी है।	समय सीमा
1	ऑगनवाड़ी केन्द्र/स्कूल	हैण्डआउट के साथ संलग्न प्रपत्र	ऑगनवाड़ी एवं टीचर	ए.एन.एम. को	22 सितम्बर 2016
2	ए0एन0एम0	उपकेन्द्र/ब्लॉक/ जनपद प्रपत्र	ए0एन0एम0	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को	29 सितम्बर 2016
3	ब्लॉक सी.एच.सी. /पी.एच.सी.	उपकेन्द्र/ब्लॉक/ जनपद प्रपत्र	अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	जनपदीय नोडल अधिकारी को	09 अक्टुबर 2016
4	जनपद	उपकेन्द्र/ब्लॉक/ जनपद प्रपत्र	मुख्य चिकि0 अधिकारी/ नोडल अधिकारी	महानिदेशक प.क. /चिकि.स्वा./ मिशन निदेशक	16 अक्टुबर 2016

कार्यक्रम हेतु संशोधित आई.ई.सी. सामग्री का प्रोटोटाइप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशों में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु उपरोक्तनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन–एस.पी.एम.यू. / आर.के.एस.के. / 09 / 2016–17 / 4113-17 तद्दिनांक : 05-8-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं उक्त सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / आर.के.एस.के. / एन.डी. डी. / 09 / 2016 [illegible] अप डे की तिथियों में उक्तानुसार संशोधन करने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग,उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं उक्त सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / आर.के.एस.के. / एन.डी.डी. / 09 / 2016–17 / 3708 दिनांक 25.07.2016 के साथ संलग्न ड्राफ्ट पत्र में एन0डी0डी0 एवं माप अप डे की तिथियों मे उक्तानुसार संशोधन करने हेतु।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं उक्त सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / आर.के.एस.के. / एन.डी.डी. / 09 / 2016–17 / 3710 दिनांक 25.07.2016 के साथ संलग्न ड्राफ्ट पत्र में एन0डी0डी0 एवं माप अप डे की तिथियों में उक्तानुसार संशोधन करने हेतु।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश(इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, बाराबंकी एवं सोनभद्र को छोड़कर) ।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश(इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, बाराबंकी एवं सोनभद्र को छोड़कर) ।
15. अपर अधिशासी निदेशक सिफ्सा उ0प्र0।
16. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एवीडेन्स एक्शन
17. गार्ड फाइल।

(डा स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक, आर.बी.एस.के.